यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती, अल्मोड़ा के माह 03.2012 से 12.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.01.2019 से 23.01.2019 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग- I

1). परिचयात्मकः इकाई की आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम लेखापरीक्षा है। **2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई के अधीन रोजगार परक व्यवसायो जैसे फिटर, विधुत्कार, स्टेनो-हिन्दी इलेक्ट्रिनिक मैकेनिकल आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे समस्त जैती अल्मोड़ा आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2012-13	0.00	0.00	33.59	33.59	0.57	0.57	-	0.00
2	2013-14	0.00	0.00	45.67	44.26	1.30	1.11	-	1.60
3	2014-15	0.00	0.00	45.09	45.09	1.51	1.51	-	0.00
4	2015-16	0.00	0.00	41.73	41.73	3.93	3.93	-	0.00
5	2016-17	0.00	0.00	54.41	50.05	14.96	14.41	-	4.91
6	2017-18	0.00	0.00	59.05	47.33	11.31	10.13	-	12.89
7	2018-19	0.00	0.00	42.70	35.90	11.01	7.46	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटित धनराशि**	**व्यय धनराशि**	**अधिक्य(+)/ बचत(-)**	**ब्याज**
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती, अल्मोड़ा

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03.2012 से 12.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती, अल्मोड़ा** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017, 03/2014, 02/2018 एवं 12/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग – दो(ब)

प्रस्तर:1- वित्तीय नियमो का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना धनराशि रु 113.09 लाख का अलाभकारी व्यय का प्रकरण पाया जाना।

भारत सरकार की पीपीपी मोड के तहत व्यवसायो के उच्चीकरण एव नए व्यवसाय हेतु संचालित योजना के तहत कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती, अल्मोड़ा हेतु क्रय किए गए मशीनों एवं उपकरणो की जांच की गयी। अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि क्यूपीआर के अनुसार धनराशि रु 113.09 लाख के मशीनों एवं उपकरणो का क्रय 03 नए व्यवसायो कोपा, फिटर एवं इलेक्ट्रोनिक व्यवसायो तथा 02 व्यवसायों ड्राफ्टमेन सिविल तथा इलेक्ट्रिशियन के उच्चिकृत हेतु किया गया। आईएमसी गाइडलाइंस के अनुसार 15 लाख से अधिक की सामाग्री की अधिप्राप्ति करते समय गवर्निग काउंसिल अर्थात आईएमसी समिति के सदस्यो की अनुमति लिया जाना अनिवार्य है जिसके संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा मे अनुपलब्ध पाया गया। संबन्धित उपकरणो एवं टूल्स के क्रय प्रक्रिया मे गंभीर वित्तीय अनियमितता पायी गयी जैसे निविदाओ हेतु का मात्र एक अखबार मे विज्ञापन दिया जाना, क्रयसमिति का गठन न किया जाना, निविदा प्रक्रिया नवम्बर 2016 मे पूर्ण होने के बाद भी क्रय/आपूर्ति आदेश 04/2017 (5 माह बाद) मे जारी किया जाना, सफल निविदाता (08 फर्मो) से कार्यपूर्ति प्रतिभूति @ 5% ऑफ कांट्रैक्ट नही लिया जाना, निविदा शर्तो मे फर्मों से अनुरक्षण एवं आपूर्ति की अवधि/शर्तो का स्पष्ट उल्लेखित न होना, निविदा को विलम्ब से स्वीकार करना आदि। आगे जांच मे पाया गया कि क्रय प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2016-17 मे पूर्ण होने के बावजूद आपूर्ति आदेशो को आगामी वर्ष 2017-18 मे जारी किया गया तथा निविदा शर्तो के विपरीत क्रय आदेश 04/2017 मे जारी होने के 60 दिनो के बाद फर्मों द्वारा समस्त देयकों को दिनांक 30.06.2017 को जारी किए गए अर्थात फर्मों द्वारा जीएसटी प्रभावी होने के 1 दिन पूर्व ही समस्त देयकों को जारी किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि संबन्धित देयकों मे टीडीएस की कटौती न कर फ़र्म को कुल 113.09 लाख का अदेय भुगतान इकाई स्तर से किया गया।

अभिलेखो की जांच मे तथ्य प्रकाश मे आया कि आईएमसी समिति को 03/2010 मे एक मुश्त धनराशि रु 2.50 करोड़ प्राप्त होने तथा उक्त ट्रेड के संचालन एवं अपग्रेदेशन हेतु पूर्व मे स्वीकृत आईडीपी के अनुसार संबन्धित ट्रेड के लिए व्यय वर्ष 2010 से किया जाना चाहिए था जबकि संबन्धित टूल्स एवं मशीनों के क्रय हेतु स्वीकृति समिति द्वारा 04/2016 अर्थात 6 वर्ष के विलम्ब से प्रदान किया जाना तथा उक्त ट्रेड के संचालन हेतु संस्थान मे मात्र 2 संबन्धित अनुदेशक का नियुक्त होना एवं क्यूपीआर के अनुसार समिति द्वारा additional man power पर व्यय शून्य पाया जाना, उक्त धनराशि रु 113.09 लाख का व्यय अनियोजित ढंग से व्यय किया जाना प्रतीत करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि वित्तीय नियमावली के अनुपालन मे जो विसंगतिया रही गयी, इसे भविष्य मे पुनरावृति से बचा जाएगा तथा आपेक्षित अभिलेख तत्काल उपलब्ध नही हो पा पहा है आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराई जाएगी। एवं भविष्य मे नियोजन को सुदृढ़ करने के पश्चात ही क्रियान्वयन की कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आईएमसी समिति उक्त टूल्स एवं मशीनों हेतु व्यय करते समय वित्तीय नियमो एवं गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित नही किया गया तथा धनराशि रु 113.09 लाख का व्यय अनियोजित ढंग किया विभागीय उदासीनता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:2- रु 1.09 करोड़ का व्यय योजनाबद्द रूप से नही किए जाने का प्रकरण पाया जाना।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती अल्मोड़ा मे संचालित भारत सरकार की अपग्रेडेशन पीपीपी मोड योजना की सविक्षा की गयी । जांच मे पाया गया कि वर्ष 2010-11 मे जारी धनराशि रु 2.50 करोड़ से गाइडलाइंस के अनुसार ब्रेकअप 05 years के प्लानिंग के अंतर्गत Institutional Development Plan(आईडीपी) चिन्हित मदों के लिए अनुमोदन कराकर उसी के अनुरूप वर्षवार कार्य का निष्पादन कराया जाना था। उक्त दिशानिर्देशों के तहत वर्ष 2018-19 तक सिविल वर्क पर अपग्रेडेशन हेतु रु 94.42 लाख व्यय कर नए ट्रेड फिटर, कोपा, फैशन टेक्नालजी एवं विधुत्कार के लिए क्लास रूप तैयार कराये जाने थे, परंतु लेखापरीक्षा तिथि तक प्रयोजन पर व्यय शून्य पाया गया। आगे जांच मे पाया गया कि अपग्रेडेशन हेतु मशीन टूल्स पर वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 तक की अवधि मे रु 1.09 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी परंतु वर्तमान तक मशीन-टूल्स की क्रियाशीलता न होने के कारण प्रयोगात्मक Consumables, Maintenance तथा Training Material पर व्यय शून्य पाया गया। योजनाबद्द रूप से कार्य मे उदासीनता देखी गयी तथा पाया गया कि अपग्रेडेशन के लिए आईडीपी द्वारा स्वीकृत प्रावधानित राशि रु 46.37 लाख के प्रतिकूल वास्तविक व्यय रु 65.47 लाख किया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि अनुदेशकों कि कमी के कारण अपग्रेडेशन सकाय का संचालन नही हो पाने के कारण लक्ष्य कि प्राप्ति नही कि जा सकी। प्रकरण आईएमसी के क्षेत्राधिकार मे आता है, जिसे समिति मे चर्चा हेतु रखा जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया, समिति के संचालन मे आईटीआई सचिव की प्रमुख भूमिका निधारित की गयी है। गाइडलाइंस के अनुसार अनुदेशकों की तैनाती आईएमसी फ़ंड से किया जाने का प्रावधान है, परंतु अनुदेशकों का बिना पूर्व प्रबंधन किए तथा अपग्रेडेशन हेतु आवश्यक निर्माण कार्य पूर्ण कराये मशीन टूल्स का क्रय विवेकपूर्ण निर्णय नही पाया गया, फलतः लेखापरीक्षा तिथि तक व्यय के बावजूद अपग्रेडेशन कार्य अवरूद था। इसके अतिरिक्त आईडीपी के अनुसार समिति द्वारा योजनाबद्द व्यय नही किया जाना लक्ष्य प्रभावित होने का प्रमुख कारण पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- अनियमित व्यय रु 1.13 लाख ।

उत्तराखण्ड बजट मैनुयल 2012, पैरा 93 "Responsibility of disbursing officer is to keep the expenditure under a particular unit of appropriation within the sum allotted to him under that unit, and, where this is not possible to meet the excess by effecting saving in the sums allotted to him under other units through reappropriatious."

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा मे बजट पत्रावली की जांच मे वर्ष 2015-16 मे आबंटन-व्यय के अंतर्गत किए गए लेन देंन की लेखापरीक्षा हेतु नमूना जांच के रूप मे चयन के दौरान पाया गया कि लेखाशीर्ष 2230-03-003-02-01 के अंतर्गत 'कार्यालय फर्नीचर' मद मे आबंटित धनराशि रु 112612.00 की समस्त प्रयुक्तता Computer Accessories की क्रय पर कर दी गयी। जांच मे तथ्य उजागर हुई की कंप्यूटर सामग्री के लिए कार्यालय मे प्रथक से मद संचालित हो रहे थे तथा संबधित सामाग्री कार्यालय फर्नीचर मद से क्रय किए जाने विषयक कोई विभागीय आदेश पत्र लेखापरीक्षा मे अनुपलब्ध पाया गया।

इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि निदेशालय द्वारा चिन्हित की गयी फ़र्मों से अधिप्राप्ति की कार्यवाही पूरी की गयी। निदेशालय के मौखिक आदेश पर क्रय प्रक्रिया पूरी कराई गयी।

उत्तर मान्य नही, क्योकि नियमतः निर्धारित मद के आबंटित धनराशि से असंगत मदो से संबन्धित समग्रियों पर व्यय किया जाना तभी संभव था जब इसके लिए विभागीय आदेश प्राप्त कर लिया जाता, परंतु मौखिक आदेश पर कार्यवाही करना शासकीय धन का मनमाने ढंग से व्यय करने का प्रकरण पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2:- धनराशि रु 3.0 लाख की धरोहर धनराशि संबन्धित फ़र्मों को वापस नही किए जाने का प्रकरण पाया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम के अनुसार निविदा प्रतिभूति/धरोहर धनराशि(Earnest Money Deposit) की वैधता अवधि 45 दिन होती है एवं सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Securities) प्रस्तुत करने के बाद निविदा प्रतिभूति/धरोहर धनराशि वापस किया जाना चाहिए।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती, अल्मोड़ा के निविदा संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि आईएमसी समिति द्वारा टूल्स एवं उपकरणो के क्रय किए जाने हेतु दिनांक 11.11.2016 को निविदाए आमंत्रित किया गया जिसके सापेक्ष 8 सफल निविदात्री फर्मों से धरोहर स्वरूप निविदा धनराशि रु 50000/- एफ़डीआर के रूप मे लिया गया जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	निविदात्री फ़र्म का नाम	एफ़डीआर संख्या	निविदा धनराशि (ईएमडी)	जमा किए जाने कि तिथि
1	Alone Trading	36241676817	रु 50000/-	08/11/16
2	M.K. Traders	CTZ01088	रु 50000/-	16/11/16
3	Kapson	393997	रु 50000/-	11/11/16
4	Lipi Enterprises	AMN020302	रु 50000/-	16/11/16
5	Universal Enterprises	CTZ007169	रु 50000/-	16/11/16
6	Shivani Tradement	318927	रु 50000/-	11/11/16
7	M.K. International Traders	736600	रु 50000/-	07/11/16
8	Vijay Traders	2154401005317	रु 50000/-	12/11/16
		कुल योग	रु 400000/-	

अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि संस्थान द्वारा वर्तमान तक मात्र धनराशि रु 1.0 लाख के निविदा धनराशि फर्मों को वापस किया गया था एवं संबन्धित निविदा धनराशि हेतु कोई भी प्रारम्भिक अभिलेख जैसे निविदा पंजिका, धरोहर राशि पंजिका आदि का रखरखाव नही किया जा रहा था। आगे जांच मे पाया गया कि निविदा प्रारूप मे निविदा को जमा किए जाने की अंतिम तिथि 10/11/2016 पायी गयी, जबकि 8 सफल निविदाताओ द्वारा जमा निविदा धनराशि/ईएमडी मे से मात्र 2 फर्मों की ही निविदा धनराशि अंतिम तिथि 10.11.16 से पूर्व जमा किया गया। निविदा तिथि के आगे बढ़ाने अथवा रद्द किए जाने संबन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये गए तथा निविदा तिथि बीत जाने के बाद 6 फर्मों की निविदाए स्वीकार किए जाने के कारणो के संबंध मे इकाई मौन रही। आगे जांच मे पाया गया कि निविदाओ मे कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि कांट्रैक्ट लागत के 5% लिए जाने संबन्धित शर्तो उल्लेखित नही किए जाने के कारण सफल निविदात्री फर्मों से कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि भी नही लिया गया।

इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि “संबन्धित धरोहर धनराशि फर्मों द्वारा मांग नही किए जाने के कारण वापस नही की जा सकी, क्योकि समिति एक स्वतंत्र निकाय है अतः समिति के विवेक के अनुसार एवं परिस्थिति को ध्यान मे रखते हुये निर्णय लिया गया। तथा कार्यपूर्ति प्रतिभूति संबन्धित आपति पर इकाई ने टिप्पणी किया कि जानकारी के अभाव मे निविदाए आमंत्रित करते समय संबन्धित कटौतिया एवं निक्षेप फर्मों से नही किए गए अतः भविष्य मे संबन्धित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रयास किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया, क्योकि मात्र 02 निविदाता ही निर्धारित समय के अन्दर निविदा धनराशि/ईएमडी की शर्तो को पूरी की तथा शेष 06 निविदाताओ द्वारा समय से धनराशि जमा नही करने के बावजूद प्रतिस्पर्धा मे शामिल किया गया जिससे फर्म के अंतिम चयन के नियमो के तहत पारदर्शिता का अभाव पाया गया तथा कार्यपूर्ति प्रतिभूति फर्मों से नही किया जाना तथा धनराशि रु 3.0 लाख के धरोहर धनराशि वर्तमान तक वापस नही किया जाना इकाई द्वारा उदासिनता प्रकट करता है।

अतः प्रकरण प्रकाश मे या जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II ‘अ’ प्रस्तर संख्या	भाग-II ‘ब’ प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II ‘अ’ प्रस्तर संख्या	भाग-II ‘ब’ प्रस्तर संख्या	STAN			
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।						

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री पी°के°धारीवाल	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती, अल्मोड़ा	लेखापरीक्षा अवधि से 05/2012 तक
श्री जे° पी° टम्टा	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती, अल्मोड़ा	06/2012 से 12/2015 तक
श्री राजेश कुमार	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती, अल्मोड़ा	01/2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैती, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.